विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं विनियोग लेखें पर दो अध्याय और राज्य सरकार के वित्तीय लेन देनों से उदभूत 5 समीक्षाएँ और 45 कंडिकाएं समाविष्ट करने वाले 5 अध्याय सम्मिलित है। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षो का सारांश दिया गया है।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियॉ (4376 करोड़ रूपए) राजस्व व्यय (4945 करोड़ रूपए) से कम थीं, परिणामस्वरूप 569 करोड़ रूपए का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (1993 करोड़ रूपए), कर–भिन्न राजस्व (722 करोड़ रूपए) संघ करो तथा शुल्कों का राज्यांश (1176 करोड़ रूपए) तथा केन्द्र सरकार से सहायतानुदान (485 करोड़ रूपए) सम्मिलित है। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय कर (47 प्रतिशत), राज्य आबकारी कर (16 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (6 प्रतिशत) और माल तथा यात्रियों पर कर (10 प्रतिशत) है। कर भिन्न राजस्व मुख्य रूप से खनन एवं धातु कर्म उद्योग (63 प्रतिशत) तथा वानिकी एवं वन्य प्राणी (14 प्रतिशत) से आता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में कर्जों तथा पेशगियों से प्राप्त 4 करोड़ रूपए, तथा लोक ऋण से प्राप्त 995 करोड़ रूपए समाविष्ट हैं। इसके विरूद्व, पूंजीगत परिव्यय पर 476 करोड़ रूपए, कर्जे तथा पेशगियों के संवितरण पर 50 करोड़ रूपए तथा लोक ऋण के पुनर्भुगतान पर 184 करोड़ रूपए का व्यय हुआ। लोक लेखे में राशि 5620 करोड़ रूपए की प्राप्तियों के विरूद्व 5223 करोड़ रूपए संवितरित किये गये। समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में लेनदेनों का निवल प्रभाव वर्ष के अंत में रोकड़ शेष में 91 करोड़ रूपए की बढ़ोत्तरी के रूप में प्रकट हुआ।

निधियों का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व व्यय हेतु किया गया एवं इसका अंश 88 प्रतिशत था जो कि राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (78 प्रतिशत) से अधिक था। इसके कारण अवधि के दौरान 569 करोड़ रूपए का राजस्व घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 10 प्रतिशत से घटकर 8.5 प्रतिशत हुआ जो कि कुल प्राप्तियों में लोक ऋण और लोक लेखे के 22 प्रतिशत के संयुक्त अंशदान से सांमज्यपूर्ण नही था।

59 अपूर्ण योजनाओं में 1598 करोड़ रूपए अवरूद्व हुए और सारभूत निधियॉ (146 करोड़ रूपए) व्यय के रूप में लेखांकित कर निक्षेप लेखे में अंतरित की गई।

अवधि के दौरान सरकार ने 2149 करोड़ रूपए (लोक ऋण के माध्यम से) सृजित किए और 31 मार्च 2002 को उसकी कुल देयताओं की राशि 7463 करोड़ रूपये थी तथापि, 2764 करोड़ रूपए के पुनर्भुगतान दायित्वों के कारण निवेश तथा अन्य व्यय के लिए नवीन उधारियों में से बहुत कम बची।

राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सन्दर्शक

अवधि के दौरान राज्य सरकार के चालू राजस्व से शेष सकारात्मक थे और वह अपने आयोजनागत व्यय के वित्त पोषण के लिए चालू राजस्व से 105 करोड़ रूपए का अंशदान कर सकी। नवीन राज्य की वित्तीय स्थिति का यथार्थ चित्र संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की नवम्बर 2000 पूर्व परसंपत्तियों तथा देयताओं के विभाजन तथा अन्य वित्तीय समायोजन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त ही सामने आएगा। जबकि वर्ष के दौरान राज्य का वित्तीय घाटा 569 करोड़ रूपए था, सरकार को अत्यधिक ब्याज भुगतानों (4945 करोड़ रूपए के कुल राजस्व व्यय का 15 प्रतिशत अर्थात 731 करोड़ रूपए) एवं देयताओं के पुनर्भुगतान पर सतर्क दृष्टि रखना है जिनके कारण उधारियों में से निवेश के लिए बहुत कम बचता है और अपने कुल व्यय में से पूजीगत व्यय तथा आर्थिक सेवाओं के अंश में संवर्धन के लिए पग उठाना है।

(कंडिका–1)

2. विनियोग लेखा परीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

8026.61 करोड़ रूपए के पुनरीक्षित अनुदानों/विनियोग के विरूद्व, 5735.50 करोड़ रूपए के वास्तविक व्यय के परिणामस्वरूप 2291.11 करोड़ रूपए की बचत हुई।

41 प्रकरणों में 214.99 करोड़ रूपए का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्व हुआ। 16 प्रकरणों में व्यय प्रावधान से 115.90 करोड़ रूपए अधिक हुआ।

59 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रूपए या इससे अधिक की और प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई। इसमें वे 2 प्रकरण भी सम्मिलित है जिनमें कुल 10.26 करोड़ रूपये का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 15 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ या इससे अधिक का कुल 102.16 करोड़ रूपये का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

13 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में व्यय 5 करोड़ रूपए या इससे अधिक और कुल 138.09 करोड़ रूपए तक प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक हुआ । 26 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपए या इससे अधिक और प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक कुल 1928.11 करोड़ रूपए की सारभूत बचतें हुई। 26 में से 15 योजनाओं में सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

वर्ष के दौरान 1652.44 करोड़ रूपए का अभ्यर्पित किये गये थे। इसमें से 75 प्रकरणों में 1642.81 करोड़ रूपए (99.42 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए जो व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का द्योतक है। अनुदान/विनियोग के 107 प्रकरणों में 805.93 करोड़ रूपए की बचत अभ्यर्पित नहीं की गई और उसे व्यपगत हो जाने दिया। इसमें 29 प्रकरणों के 745.54 करोड़ रूपये सम्मिलित है। जिनमें प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रूपए से अधिक की बचत हुई।

20 प्रकरणों में 456.41 करोड़ रूपए का व्यय मूल अनुमानों/पूरक मॉग में प्रावधान किए बिना किया गया।

(कंडिका–2)

3. लोक निर्माण विभाग की एकीकृत लेखा परीक्षा

विभाग ने मार्च 2001 तक 35082 कि.मी. सड़क, 9.30 लाख एवं 28.89 लाख वर्ग मीटर आवासीय एवं कार्यालय भवनों का निर्माण किया था। 19607 ग्रामों में से केवल 7805 ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया। सड़कों एवं भवनों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मार्च 2002 तक 33 सड़कों और 62 पुलों के निर्माण को पूर्ण करने हेतु 73.14 करोड़ रूपए का ऋण स्वीकृत किया गया था जिसमें से 18 सड़कें एवं 44 पुल पूर्ण किए गए थे। 1999–2002 के दौरान अतिरिक्त अमले पर 9.61 करोड़ रूपये का व्यय हुआ और विभागीय संयंत्र एवं मशीनरी का उपयोग 30 प्रतिशत से भी कम होने के परिणाम स्वरूप 1.51 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई। समीक्षा में निम्न तथ्य भी उदभूत हुए।

- 2001–2002 के दौरान 37 प्रतिशत से भी अधिक आयोजनागत आवंटन अप्रयुक्त रहा। 1998–2002 के दौरान 9 संभागों में साखपत्र से 3.38 करोड़ रूपए अधिक के धनादेश जारी किए गए। आबंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए 9.29 करोड़ रूपये सिविल जमा में रखे गए थे।
- 10 संभागों में महालेखाकार द्वारा जारी किए गए समायोजन ज्ञापन एवं 26.08 करोड़ रूपए के विविध लोक निर्माण अग्रिम समायोजन हेतु लम्बित थे। जमा राशि से अधिक व्यय किए गए 6.22 करोड़ रूपये की संबंधित एजेन्सियों से वसूली नही की गई।
- 1991–96 की अवधि के लिए संयंत्र एवं मशीनरी का किराया 6.14 करोड़ रूपये वसूली हेतु लम्बित था।
- प्रशासकीय स्वीकृति के बिना 6.59 करोड़ रूपए की लागत के 5 कार्य प्रारंभ किए गए। 27 कार्यो पर व्यय प्रशासकीय स्वीकृति से 5.69 करोड़ रूपये अधिक था जिसमें से 19 कार्य 3.56 करोड़ रूपये के अभाव से अपूर्ण थे।
- 66.90 करोड़ रूपए के व्यय के विरूद्व विभाग ने नाबार्ड से 57.08 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया एवं केवल 41.41 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति की गई।
- नमूना जॉच में 3.96 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत, 3.17 करोड़ रूपये के अवमानक कार्य, 1.33 करोड़ रूपये की अनधिकृत सहायता, 5.70 करोड़ रूपये का अनियमित भुगतान 50.32 लाख रूपये की लम्बित वसूलियॉ, 6.07 लाख रूपये का गबन एवं 1.13 करोड़ रूपये की निष्क्रिय पड़ी सामग्री पाई गई।

(कंडिका 4.1)

4. ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास योजना)

गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को मकान मुहैया कराने की दृष्टि से इंदिरा आवास योजना केंद्र सरकार की पूर्णतः वित्तपोषित योजना–''ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम'' के एक घटक के रूप में वर्ष 1985–86 में प्रारंभ की गई । अप्रैल 1989 से इसे '' जवाहर रोजगार योजना'' में विलय किया गया एवं इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों के लिए सहायता का विस्तार किया गया। जनवरी 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना बन गई। मार्च 1999 तक इस योजना के अन्तर्गत व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 80:20 तथा तत्पश्चात 75:25 के अनुपात में विभाजित किया गया। उपलब्ध निधि की 20 प्रतिशत राशि कच्चे मकानों को पक्के मकानों में परिवर्तित करने के लिए दस हजार रूपये प्रति इकाई की दर से प्रयुक्त की जानी थी। इंदिरा आवास योजना के अतिरिक्त अप्रैल 1999 से ग्रामीण आवास हेतु प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) और साख–सह–अनुदान योजना भी आरंभ की गई। निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई

– 3 जिला पंचायतों द्वारा अनियमित रूप से 1.01 करोड़ रूपये का प्रशासकीय व्यय योजना पर प्रभारित किया गया।

– जवाहर रोजगार योजना को अनियमित रूप से व्यपवर्तित किये गये 7.75 करोड़ रूपये में से 1.13 करोड़ रूपए लम्बित हैं।

– 3.48 करोड़ रूपये से व्यय को बढ़ाकर भारत सरकार को सूचित किया गया।

– मकानों के निर्माण हेतु हितग्राहियों के स्थान पर ठेकेदारों एवं विभागीय तथा निजी एजेंन्सियों को अनियमित रूप से 6.15 करोड़ रूपये भुगतान किये गये। 71.71 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 37579 निवास ईकाईयॉ महिला सदस्यों अथवा संयुक्त नाम के स्थान पर अनियमित रूप से पुरूष सदस्यों के नाम से आबंटित की गई।

– धुआं रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालयों का निर्माण जो आवास–योजना का एक अभिन्न अंग था, मकानों में 29 प्रतिशत स्वच्छ शौचालय एवं 41 प्रतिशत आवासों में धुआं रहित चूल्हों का निर्माण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1)

5. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना बैंक साख और सरकारी अनुदान के मिश्रण के माध्यम से आय जनित परिसंपत्तियॉ उपलब्ध कराने हेतु सहायता कृत परिवारों को तीन वर्षो में गरीबी रेखा के उपर उठाने के लिए अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई। पॉच नमूना जिलों में योजना के क्रियान्वयन की नमूना जॉच के दौरान ज्ञात हुआ कि प्रथम तीन वर्षो के दौरान समाविष्ट किए गए परिवार लक्ष्य से कम थे, परियोजना से अर्जित आय अनुमान से बहुत कम थी, कुछ क्रियाकलापों के लिए विस्तारित सहायता स्वीकृति से कम थी। प्रशिक्षण, अनुदान और अधोसंरचना पर अधिक व्यय के प्रकरण भी दृष्टिगत हुए। वित्तीय उपलब्धियों का अतिकथन भी सामने आया तथा योजना के अंतर्गत आवश्यक समूह मूल्यांकन पर भी दृष्टि केन्द्रित नही की गई ।

- तीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा 5.73 करोड़ रूपए तक बढ़ाकर व्यय सूचित किया गया जिसमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बस्तर के द्वारा प्रशासन पर अनियमित रूप से किया गया व्यय 0.64 करोड़ रूपए भी शामिल था। इसके अतिरिक्त अधोसंरचना के विकास पर 2.66 करोड़ रूपए अधिक व्यय किया गया।
- 10429 अप्रशिक्षित स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान की गई जबकि 13063 को प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें कोई सहायता नहीं दी गयी।
- नमूना जॉच किये गये पॉच जिलों में गठित 11722 स्वसहायता समूहों में से केवल 375 स्वसहायता समूह (3.20 प्रतिशत) मार्च 2002 के अन्त तक आर्थिक क्रिया कलाप प्रारंभ कर सके।
- पॉच नमूना जिलों में 1.10 लाख गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के समावेशन के विरूद्व वास्तविक समावेशन 24,398 ही था।
- 492 स्वसहायता समूहों में से 251 को नगद साख छः माह तक के विलम्ब से स्वीकृत किए गए।
- बस्तर जिले में विशेष परियोजना पर अधोसंरचना निधि से अनियमित रूप से 2.49 करोड़ रूपए का व्यय किया गया। 2.15 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रही।

(कंडिका 3.2)

6. पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण हेतु औषधालय

योजना का मुख्य उद्धेश्य राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। अपर्याप्त बजट प्रावधान और बुनियादी अधोसंरचना

सुविधाएँ पूर्ण करने में असफलता के कारण इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विकास नही हो सका। जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ अपर्याप्त थे क्योंकि 20 से 65 प्रतिशत तक पद 6 से 60 माह से रिक्त थे। 28 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकों के बिना ही चलाए जा रहे थे। यहाँ रेडियोलाजीकल सुविधाएँ अनुपातिक नहीं थी। एक्स–रे मशीने या तो उपलब्ध नहीं थीं अथवा निष्क्रिय थीं। कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ इस प्रकार थी :–

– बजट प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से 53 प्रतिशत कम रहा।

– 170 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरूद्व मात्र 114 ही स्थापित किए गए।

– औषधियों के अनियमित क्रय पर 19.61 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

– 3.90 करोड़ रूपये के व्यय के पश्चात भी 4 सौ बिस्तर वाले अस्पताल और एक उन्नयित (सौ से तीन सौ बिस्तर) अस्पताल अपूर्ण रह गए।

– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष चिकित्सा और मूलभूत अधोसंरचना सुविधाओं के न होने के परिणाम स्वरूप बिस्तर उपयोग कम रहा।

– जीवन रक्षक औषधियों के न्यूनतम एवं अधिकतम स्कंध निर्धारित नहीं किए गए। भंडारपाल सामग्री विवरण सूची नियंत्रण में प्रशिक्षित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 3.3)

7. विशेष पोषण आहार कार्यक्रम

पूरक पोषण आहार 6 वर्ष की उम्र से कम के विशेषतः अत्यधिक कुपोषित कमजोर बच्चे गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं में प्रोटीन और कैलोरी कुपोषण को नियंत्रित करने और उनके स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से प्रारंभ किया गया था। योजना हेतु आंगनवाड़ी स्तर पर प्रति तिमाही में पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए समस्त परिवारों का सर्वेक्षण सम्पन्न किया जाना था और उन्हें पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु सूचीबद्व करना था। छः वर्ष की उम्र से कम के बच्चे, सभी गर्भवती महिलाएँ और दूध पिलाने वाली माताओं को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 40 प्रतिशत तथा आदिवासी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत समावेश करना था। क्रियान्वयन की समीक्षा में निम्न तथ्य प्रकट हुए :–

– बच्चों/माताओं की 43.02 लाख जनसंख्या में से 23.45 लाख हितग्राही पात्र थे जबकि मात्र 10.41 लाख का ही समावेशन हुआ।

– आवंटन का बत्तीस प्रतिशत अप्रयुक्त रहा। खाद्यान्न प्रसंस्करण में आंगनवाड़ियों को प्रभावित करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से 8.97 लाख रूपए की कम वसूली हुई।

– खाद्यान्न सामग्री के अपर्याप्त प्रदाय के कारण 300 दिनों तक पूरक पोषण आहार प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सका। 20 प्रतिशत आंगनबाड़ियों ने 200 दिनों से भी कम दिनों तक पूरक पोषण आहार वितरित किया और 3 से 11 प्रतिशत आंगनवाड़ियों ने एक दिन भी पूरक पोषण आहार वितरित नही किया।

(कंडिका 3.4)

8. लेखा परीक्षा कंडिकाएँ

i. नैला–जॉजगीर जल प्रदाय योजना के इंटेकवेल, उपचार संयंत्र, तथा पाइपों की खरीदी पर 82.53 लाख रूपये का असामयिक व्यय किया गया क्योंकि योजना के अन्य घटकों पर कार्य आरंभ ही नहीं किया गया था।

(कंडिका 4.2)

ii. रायपुर–बिलासपुर–सारंगगढ़ मार्ग के कार्य में उच्च दरों की निविदा की अविवेकपूर्ण स्वीकृति के परिणामस्वरूप 12.55 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत ठेकेदार, को 6.68 लाख रूपये का अनावश्यक लाभ के अतिरिक्त अवमानक कार्य की मरम्मत एवं संधारण पर 26.90 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया गया।

(कंडिका 4.3)

iii. 1.01 करोड़ रूपये की राशि का पातन के बिना वृक्षों के चिन्हाकंन पर निष्फल व्यय, पातित माल के परिवहन पर परिहार्य व्यय एवं इमारती लकड़ी के उत्पादन पर अधिक कार्य व्यय।

(कंडिका 3.5)

iv. रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत अस्वीकार्य कार्यो पर 60.02 लाख रूपये व्यय किये गये।

(कंडिका 3.6)

v. मेहतरों को दासता से मुक्त करने के लिए सेनेटरी मार्ट की स्थापना हेतु चिन्हित किये गये 18.17 करोड़ रूपये व्यय नहीं किये गये।

(कंडिका 3.7)

vi. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में जल सुविधाएँ प्रदान करने तथा कन्या विद्यालयों में स्वच्छता सुधार हेतु विमुक्त 91.40 लाख रूपये व्यय नही किये गये।

(कंडिका 3.8)

vii. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा दुर्ग में निर्मित 22 मकान एवं 24 दूकानें विक्रय के बिना शेष रहने के परिणाम स्वरूप 1.56 करोड़ रूपये की पूंजी अवरूद्व रही।

(कंडिका 6.1)

9. राजस्व प्राप्तियॉ

(प) वाणिज्यिक कर

– कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप कुल 37.71 लाख रूपए का कर कम वसूल हुआ।

(कंडिका 5.9)

– नवीन उद्योगों को कर के भुगतान से गलत छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप कुल 40.33 लाख रूपए के कर का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 5.12)

– बंद इकाईयों से कुल 4.78 करोड़ रूपए के कर की वसूली न होना।

(कंडिका 5.13)

(पप) मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

– 35 दस्तावेजों में सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप 1.22 करोड़ रूपए की राजस्व हानि।

(कंडिका 5.16 (प) एवं (पप))

– उप–पंजीयक द्वारा 147 दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कुल 49.79 लाख रूपये के शुल्क एवं फीस का कम आरोपण।

(कंडिका 5.17)

(पपप) अन्य कर प्राप्तियां

– एल्कोहल के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप 74.82 लाख रूपये के आबकारी राजस्व की हानि।

(कंडिका 5.22)

– स्पिरिट की न्यूनतम स्कन्ध सीमा का संधारण न करने के लिए 2.56 लाख रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 5.23)

– विभिन्न वाहनों पर 1.09 करोड़ रूपये के वाहन कर तथा 2.17 करोड़ रूपये की शास्ति का अनारोपण/भुगतान न होने के परिणाम–स्वरूप 3.26 करोड़ रूपये की राजस्व हानि।

(कंडिका 5.26)

– व्यपवर्तन किराया, प्रब्याजि एवं उपकर हेतु 17.02 लाख रूपये की मांग सृजित नही की गई।

(कंडिका 5.28)

(पअ) अन्य कर–भिन्न प्राप्तियां

– दुकानों के पट्टों की निर्धारित दर से लाइसेंस फीस का निर्धारण न करने एवं नियमितीकरण न करने के परिणामस्वरूप 23.47 लाख रूपये की राजस्व हानि।

(कंडिका 5.32)

– समुन्नति अंशदान के आरोपण की तिथि अधिसूचित न किए जाने से 3.21 करोड़ रूपये का अनारोपण।

(कंडिका 5.33)

– बांसों की कम उपज के परिणामस्वरूप 89.61 लाख रूपये के वन राजस्व की हानि।

(कंडिका 5.39)

– इमारती लकड़ी के लट्ठों को बल्लियों के रूप में वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप 43.87 लाख रूपये की राजस्व हानि।

(कंडिका 5.40)